प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.76 है0 वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगूने अर्थात 5.52 है0 के वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम–काफली कमेड़ा, तहसील कपकोट की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपर्युक्त होने का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव के 2.10 (प्रपत्र 43) में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 80 के अन्तर्गत श्रेणी 9(3) ख–2 जंगल में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश सं0 759(1)/XVII(2)/2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैण्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 558/26–वन/2010–11, दिनांक 02.07.2010 के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दी गई है, उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार, कपकोट के पत्रांक 448/र0का0/2016 दिनांक 20 सितम्बर,2016 द्वारा 5.52 है0 की खतौनी दी गई है, जो संलग्न है।

संलग्न– खतौनी एक प्रति।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

1.10 — MQV

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या.– 558 / छब्बीस–वन / 2010–11 दिनाक: 02 ~~जून~~ जुलाई 2010

सेवामें

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
बागेश्वर।।

विषयः– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या– 223 / 2 ई0व0भू0 दिनांकः 02 जुलाई,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित तहसीलवार कुल भूमि– 1402.678 है0 की सूचना / स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या– 172 / छब्बीस–वन / 2008–09 दिनांकः 02 फरवरी,2009 से शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या– 759 (1) / XVIII (2) / 2009 दिनांक: 20 मार्च,2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिन्हित भूमि का स्थलीय कब्जा वन विभाग को देते समय तहसील गरूड़ के अन्तर्गत 0.982 है0 भूमि पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 है0 भूमि को चिन्हित भूमि से पृथक कर लिया गया है, तद्नुसार 1265.676 है0 भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरूड़ एवं काण्डा मे चिन्हित भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया इस स्तर पर गतिमान है। जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या– 552 / छब्बीस–वन / 2010–11 दिनांकः 29 जून,2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

Steno
E.E.

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 विभाग

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar